12.3.22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
पेशकार आर. उपस्थित हैं, जिन्होंने पेश रिपोर्ट
के अनुसार राजहित प्रभावित नहीं है। प्रतिवादी
गण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब एवं
वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन
किया गया। लोक अदालत की भावना से
प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये
पेशकार [illegible] वाद, वादीगण स्वीकार

स. बीमा

अ.नि. हसीना
द्वारा

अ.नि.
गयासुद्दीन

उ. पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ान .... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील मे जारी
	किया जाता है, पत्रावली के निर्णय पृथक से लिखाया जाकर [illegible] पत्रा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	[illegible] 14/3/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 5/2022

तारीख दायरा 17.01.2022

उनवान

1. ईशाक पुत्र सईदा जाति फकीर (मुसलमान)।
2. गफ्फार पुत्र सईदा जाति फकीर (मुसलमान)।
3. निसार पुत्र सईदा जाति फकीर (मुसलमान)।
4. अब्बास अली पुत्र सईदा जाति फकीर (मुसलमान) निवासी ग्राम कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्री सईदा जाति फकीर।
2. जेबुन[illegible] पुत्री सईदा जाति फकीर।
3. मोबीना पुत्री सईदा जाति फकीर।
4. मोहसिना पुत्री सईदा जाति फकीर।
5. शकीला पुत्री सईदा जाति फकीर।
6. हसीना पुत्री सईदा जाति फकीर निवासी ग्राम कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramavtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 व माता स्व0 घीसीबाई के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डाबरीखुर्द पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं0 नई 28 पुरानी 213 के खसरा नं0 2 की 0.47 हैक्टर व खसरा नं0 4 की 0.18 हैक्टर कुल 2 किता की 0.65 हैक्टर आराजीयात स्थित है। वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की माता घीसीबाई का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 हैं जो उक्त आराजीयात को मौके पर आपसी सहमति से शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

सजरा मृतक घीसीबाई पत्नी सईदा

- अकीला पुत्री
- [illegible] पुत्री
- इशाक पुत्र
- गफ्फार पुत्र
- मोबीना पुत्री
- निसार पुत्र
- मोहसिन पुत्री
- शकीला पुत्री
- अब्बास अली पुत्र
- हसीना पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने आज से एक माह पूर्व अपने खाते की आराजी की नकलें प्राप्त की तो वादीगण की जानकारी में आया कि उनको राजस्व रिकार्ड में नाबालिग दर्ज कर रखा है जबकि वादीगण बालिग हो चुके हैं तथा वादी अब्बास अली का घर का नाम पप्पू दर्ज कर रखा है। उक्त नाम में गलती होने से वादीगण को नाबालिग से बालिग दर्ज नहीं किया गया, साथी ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 6 की माता स्व0 घीसीबाई का स्वर्गवास हो जाने से उनका फौती इन्तकाल भी नहीं हो सका है। वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से उक्त गलत नाम को सही करके नाबालिग से बालिग दर्ज करने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा अपनी असमर्थता जाहिर की है, जिसके कारण वादीगण को अपनी आराजी का विकास कार्य करवाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में घोषणा व

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत करके अपने हक में घोषणा करवावें। जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

माल ग्राम डाबरीखुर्द पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं0 नई 28 पुरानी 213 के खसरा नं0 2 की 0.47 हैक्टर व खसरा नं0 4 की 0.18 हैक्टर कुल 2 किता की 0.65 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादी नं0 4 के बोलते नाम पप्पू को दुरस्त किया जाकर अब्बास अली दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावे। साथी ही वादीगण बालिग होने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाबालिग के नोट को हटाकर वादीगण को बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावे। विवादित आराजीयात के सहखातेदार घीसीबाई पत्नी [illegible] का स्वर्गवास हो जाने व उसके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 [illegible] वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को मृतक घीसीबाई के स्थान पर [illegible] किया जावे तथा मृतक सहखातेदार घीसीबाई का नाम खाते से खातेदार [illegible] डिलीट किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्ती करने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी सं. 7 ने उपस्थित होकर वाद में राजहित प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं 4 ता 6 की ओर से वकील श्री मोहम्मद अशफाक द्वारा वकालतनामा मय जवाबदावा पेश किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा इकबाली जवाब दावा एवं जवाब सरकार के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, जवाब सरकार, इकबाली जवाब दावा से यह जाहिर होता है कि वादीगण ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

माल ग्राम डाबरीखुर्द पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं0 नई 28 पुरानी 213 के खसरा नं0 2 की 0.47 हैक्टर व खसरा नं0 4 की 0.18 हैक्टर कुल 2 किता की 0.65 हैक्टर आराजीयात में दर्ज वादी नं0 4 के गलत नाम पप्पू को दुरस्त किया जाकर अब्बास अली दर्ज किया जावे। साथ ही वादीगण के नाम के साथ दर्ज नाबालिग के नोट को हटाया जावे। उक्त आराजीयात की सहखातेदार घीसीबाई पत्नी सईदा का स्वर्गवास हो जाने पर घीसीबाई का नाम खाते से डिलीट किया जावे तथा उसके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को मृतक घीसीबाई के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुसार में इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहकर की पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहसवल)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहसवल)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner